कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 789 / FP/UK/WATER/38629/2019 देहरादूनः दिनांकः सितम्बर, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.372 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/WATER/38629/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, एफ0 आई0यू0 (अनुरक्षण खण्ड), देहरादून द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.372** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

19/9/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/WATER/38629/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, एफ0 आई0यू0 (अनुरक्षण खण्ड), देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवां अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.372 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड़ जल संस्थान को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/WATER/38629/2019)

जनपद–देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.372 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड़ जल संस्थान को 30 वर्षो पर दिये जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.372 हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–देहरादून / प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

APCCF & NODAL OFFICER (FC)
UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 19/09/2019

स्थान : देहरादून